बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 :– 03 / 04–भू0अ0नि0(गया)आरोप–14 / 2024 4060 पटना, दिनांक :– 16/07/2025

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, गया के पत्रांक 464 दिनांक 20.09.2024 द्वारा श्री सुरज कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN12528) के विरूद्ध शिविर आवंटन के पश्चात् अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, दूरभाष पर सम्पर्क करने पर कॉल नहीं उठाने संबंधी कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए संविदा से विमुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निदेशालय पत्रांक 14263 दिनांक 04.11.2024 द्वारा श्री कुमार से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के विरूद्ध 07 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग इस शर्त्त के साथ की गयी थी कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संविदा समाप्ति संबंधी एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा 05 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है।

स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं R2R सॉफ्टवेयर अन्तर्गत इनकी उपस्थिति एवं अमीन डायरी का अवलोकन किया गया है। अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा पिछले 10 माह में मात्र 16 दिन ही अपनी उपस्थिति दर्ज की गयी है एवं इनके द्वारा पिछले 10 माह में अमीन डायरी की प्रविष्टि भी नहीं की गयी है। R2R सॉफ्टवेयर अन्तर्गत इनकी उपस्थिति विवरणी से बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित होता है। सर्वेक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य से इतनी लम्बी अवधि से अनुपस्थिति रहने के बावजूद भी नैसर्गिक न्याय के तहत निदेशालय स्तर पर अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी है, परन्तु इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। इनका यह कृत्य इनके मनमानेपन, स्वेच्छाचारिता, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवेहलना को परिलक्षित करता है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना है, निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के उद्देश्य से सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मी अवगत हैं, इसके बावजूद भी श्री कुमार लम्बी अवधि से अनुपस्थित हैं, जिसके कारण इन्हें आवंटित शिविर का कार्य बाधित हुआ है। ऐसे संविदा कर्मी के रहते निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता है एवं इसका प्रभाव अन्य संविदा कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना उचित होगा।

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित (संविदा) नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधित नियमावली, 2022 के नियम–8(4) के तहत श्री सुरज कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN12528) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

15/7

(जे0 प्रियदर्शिनी)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 04–भू0अ0नि0(गया)आरोप–14 / 2024 4060 **पटना, दिनांक** :– 16/07/2025

प्रतिलिपि :– श्री सुरज कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN12528), बंदोबस्त कार्यालय, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

15/7

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 03 / 04—भू0अ0नि0(गया)आरोप—14 / 2024 4060........... **पटना, दिनांक** 16/07/2025

प्रतिलिपि :— बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/7

निदेशक

भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 03 / 04—भू0अ0नि0(गया)आरोप—14 / 2024 4060........... **पटना, दिनांक** 16/07/2025

प्रतिलिपि :— संबंधित प्रोग्राम, भू—अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/7

निदेशक

भू—अभिलेख एवं परिमाप